उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

15 सितम्बर, 2020 ई0

संख्या 1024/XXVIII(5)/2020–24(सामान्य)/2015–राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर) में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली, 2020

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली, 2020 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर) एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्टि है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय।
(ग) 'बोर्ड' से उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है।
(घ) 'संविधान' से' भारत का संविधान' अभिप्रेत है।
(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।
(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर) संवर्ग सेवा अभिप्रेत है।
(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।
(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट–क** में दी गयी है :

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर):– सीधी भर्ती द्वारा ।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणीः जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएँ हों–

1– <u>मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर):–</u> किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सोशल वर्क (एम.एस.डब्लू) में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।

<u>वरीयता:–</u> मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद का अनुभव व कम्प्यूटर के अनुभवी को वरीयता।

<u>टिप्पणी–</u> इस नियमावली के प्रख्यापित होने से पूर्व से ही जो कार्मिक नियमित रूप से कार्यरत है तो उसके लिए वही शैक्षिक योग्यता मान्य होगी जो नियुक्ति के समय निर्धारित थी।

अनिवार्य अर्हता

9. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं तद्क्रम में इस संबंध में समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों में निहित प्राविधान/शर्तों/उपबन्धों के अनुसार अर्हता धारण करता हो।

अधिमानी अर्हता

10. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष ही 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा के किसी पद पर ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे–

(क) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड ॥ भाग ॥। के अध्याय ॥। में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

परन्तु यह कि निःशक्तजनों हेतु भारत सरकार के (दिव्यांगजन अधिकार) अधिनियम, 2016 की धारा 33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा योजन कार्यालय/चयन बोर्ड को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. सेवा में सीधी भर्ती पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली–2008 एवं इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी।

<u>टिप्पणी</u> :– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति–

17. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 तथा 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को 01 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति नें अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धाराणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सम्बन्ध में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा।

स्थायीकरण 19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है कर दी गयी हो, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 20. (1) सेवा में किसी श्रेणी के पद किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये गये हो :

परन्तु यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट की जाती है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश की दिनांक मानी जायेगी तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने की दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति बोर्ड/चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

भाग सात–वेतन आदि

वेतनमान 21. (1) सेवा में विमिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ में प्रचलित वेतनमान **परिशिष्ट–क** में दिये गये है।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो (02) वर्ष की सेवा के पश्चात् और परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों/विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

25. जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट--क

पद एवं पदों की संख्या

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंधीन संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के ढांचे में स्वीकृत मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री सोशल वर्कर) के पदों की संख्या :–

क्रम सं0	संस्थान का नाम	वेतनमान	मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/ साईकेट्री सोशल वर्कर)
1	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।	35400–112400 लेवल–6	11
2	राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर।	35400–112400 लेवल–6	11
3	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा।	35400–112400 लेवल–6	10
4	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।	35400–112400 लेवल–6	11
कुल पद			43

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1024/XXVII(5)/2020-07(General)/2019,** Dehradun dated September 15, 2020 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

September 15, 2020

No. 1024/XXVII(5)/2020-07(General)/2019—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of India"** and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and the condition of services of persons appointed to the Uttarakhand Medical Education department Medical Social Worker (Social Worker/Psychiatry Worker) Service rules;

The Uttarakhand Medical Education Department Medical Social Worker (Social Worker/ Psychiatry Social Worker) Cadre Service Rules, 2020

PART I-GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the The Uttarakhand Medical Education Department Medical Social Worker (Social Worker/Psychiatry Social Worker) Cadre Service Rules, 2020.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The service of Uttarakhand Medical Education Medical Social Worker (Social Worker/ Psychiatry Social Worker) is a State Service which comprises Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) **'Appointing Authority'** means the Director of the Uttarakhand Medical Education Department;

(b) **'Citizen of India'** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;

(c) **'Board'** means the Uttarakhand Medical Service Selection Board;

(d) **'Constitution'** means '**the Constitution of India**';

(e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **'Member of the Service'** means a person substantively appointed under these rules or orders enforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) **'Service'** means the Department of Uttarakhand Medical Education Department Social Worker (Social Worker/Psychiatry Social Worker);

(i) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;

(j) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II-CADRE

Cadre of Service 4. (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in Appendix- "A" :

Provided that-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III-RECRUITMENT

Source of Recruitment 5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

Meidcal Social Worker (Social Worker/Psychiatry Social Worker):- through direct recruitment.

Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically Weaker Section and other category to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV-QUALIFICATIONS

Nationality 7. A candidate for direct recruitment to be a post in service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) mentioned above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) mentioned above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case is certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor reject, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. (1) A candidate must have following qualifications for the recruitment to the posts –

1- Medical Social Worker (Social Worker/Psychiatry Social Worker)- Post Graduate degree in Social Work (M.S.W) from a institution/univeristy established by law with one year working experience in health welfare and health service.

Preference :- Preference to have experience of the post of Medial Social Worker (Social Worker/Psychiatry Social Worker) and experience of the computer.

Note :- Prior to the promulgation of this Rule, personnel who working as regular basis, has same educational qualification as prescribed at the time of appointment.

Essential qualification

9. Qualification shall be according to the Essential/Desirable Qualification for the Recruitment of Group "C" post within the Purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the Purview of the Public Service Commission, 2010 and in accordance with the provision/conditions vested in Rule as amended from time to time.

Preferential Qualification

10. A candidate who has:-

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(ii) Obtained a 'B' of 'C' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

11. A candidates for direct recruitment, if the vacancies are advertised for the period of 01 January to 30 June, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years as on the first day on 01 January if the vacancies are advertised for the period of 01 July to 31 December, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 42 years on the first day on 01 July;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character **12.** The character of a candidate to a post in service must be such as render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy it self on this point.

Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State turpitude shall also be ineligible.

Marital Status **13.** A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness **14.** No candidate shall be appointed to any position in the service, if he is not physically and mentally healthy and is not free from any such physical defect, which may cause him to interfere in the efficient discharge of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he will be expected to be successful in the examination of the Medical Council.

(a) In case of other post in the service, it is required to submit a fitness certificate as per the rule made under the principal rule 10 contained in Chapter-II of Financial Handbook Section-II Part-II:

Provided that subsequent to section 33 of the Right of Person with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016) the post identified for this and the categories identified under section 34 the disabled shall not be denied the appointment as per rules.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITIMENT

Determination of vacancies **15.** The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section and and other categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6, and shall be enroll to the Employment Office/Commission.

Direct recruitment process through **16.** Direct recruitment shall be done according to the Uttarakhand Procedure for direct recruitment for Group "C" posts (outside the preview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2008

Uttarakhand Medical Service Selection Board

(as amended from time to time) and recruitment to these posts shall be carried out through the Uttarakhand Medical Service Selection Board.

Note- The syllabus and rules of the competition examination shall prescribed by the Board from time to time.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

17. **(1)** Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates, in the order, in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16.

(2) The Appointment Authority may make appointments in temporary of officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointment under these rules. Such appointments in such vacancy from amongst person eligible for appointment under these rules, Whichever be earlier, and where the post is within the purview of the Commission, the provisions of regulation 5(a) of the Uttarakhand Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 2003 shall apply.

Probation

18. **(1)** A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstances beyond two year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his Services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

19. A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified; and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

20. (1) The determination of seniority of a person substantively appointed in any category of posts shall be made as per the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined in the order in which their names are arranged in their appointment order;

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it shall mean the date of issue of the order;

(2) The seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Commission or Selection Committee;

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

PART-VII-PAY ETC.

Scales of Pay

21. (1) The scales of pay (Pay band and Grade pay) admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay (Pay band and Grade pay) at the time of the Commencement of these rules are given in **Appendix "A"**.

Pay During Probation

22. (1) Notwithstanding any provision in the Principal Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service including period-of-training and has passed the Departmental examination; where prescribed and second increment, after two years satisfactory service, where he has completed the probationary period and is also confirmed;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority direct otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulate, by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government Service generally governing in connection with the affairs to the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing

23. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

24. In relation to such subjects, which do not fall under these rules or special orders,

Such persons employed in the service will be regulated by the regulations and orders generally applicable to the serving government servants related to the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of service

25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Provided that where a rule has been framed, in consultation with the commission, that commission shall be consulted before the requirement of the rules are dispensed with or relaxed.

Saving

26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Categories, Economically Weaker Sections and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix- "A"

Post and number of Post

Number of the Post sanctioned for Medical Social Worker (Social Worker/Psychiatry Social Worker) in the structure regulated by Government Medical College under Medical Education Department :-

Sl.No.	Name of Institution	Pay Scale	Medical Social Worker (Social Worker/Psychiatry Social Worker)
1	Government Medical College, Haldwani	34000-112400 Level-06	11
2	Government Medical College, Srinagar	34000-112400 Level-06	11
3	Government Medical College, Almora	34000-112400 Level-06	10
4	Government Medical College, Dehradun	34000-112400 Level-06	11
Totat Post			**43**

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 10–10–2020, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 चिकित्सा/497–28–10–2020–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।